राजस्थान सरकार
**कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान**
**प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर**
W-6, गौरव पथ, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर (राज.)
e-mail: dte.cts.raj@gmail.com

क्रमांकः प.सं.7(11)/प्र–1/राज्य सरकार/2021/ 11284 दिनांकः– 27/08/2021

आचार्य/अधीक्षक,
राजकीय/प्राईवेट,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त।

विषयः– वर्ष 2021–22 से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा प्रीमियम में संशोधन बाबत।
संदर्भः– 1. अतिरिक्त निदेशक,(सा.बी.यो) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 02/2021 एवं पत्र कमांक जीआईएफ/जीआईएस/एसएसआई/Aided-Non Aided/2018-19/ 1394 – 1443 दिनांक 09.07.2021।
2. निदेशालय के पत्र क्रमांक 10699 दिनांक 02.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रांक के क्रम में लेख है कि वर्ष 2021–22 से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा, समस्त राजकीय/प्राईवेट औ.प्र.संस्थानों में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा प्रीमियम में संशोधन किया गया है।

अतः वर्ष 2021–22 से समस्त राजकीय एवं प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नवीन प्रवेशित एवं वर्तमान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा हेतु, संशोधित प्रीमियम प्रति छात्र 10/–रूपये, बीमाधन 1 लाख रूपये हेतु प्रति विद्यार्थी प्राप्त कर, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा नियमानुसार निर्धारित अवधि में करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

**निदेशक, प्रशिक्षण**

क्रमांकः प.सं.7(11)/प्र–1/ राज्य सरकार /2021/ 11285-86 दिनांकः– 27/08/2021
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं
1.श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जोधपुर को सूचनार्थ।
2.उप निदेशक प्रशिक्षण,प्राविधिक शिक्षा क्षैत्रीय, अजमेर/ भरतपुर/ बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर।

**उपनिदेशक, प्रशिक्षण**

ध्वज - ०१

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(साधारण बीमा निधि)

द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005

e-mail add.gis.sipf@rajasthan.gov.in Phone No. 0141-2740219

क्रमांकः–GIF/GIS/SSI/Aided-Non aided/2018-19/ 1394-1443 दिनांकः– 09.07.2021

## परिपत्र संख्या 02/2021

राज्य के निजी विद्यालयों, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के दुर्घटना बीमा के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 01/2021 दिनांक 02.03.2021 जारी किया गया था। इस परिपत्र की निरन्तरता में निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते है:–

1. इस दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वार्षिक प्रीमियम दर 10 रू. प्रति विद्यार्थी प्रति एक लाख रूपये बीमाधन होगी।
2. योजना के अन्तर्गत न्यूनतम बीमाधन एक लाख रूपये प्रति विद्यार्थी होगा।
3. जिला कार्यालय द्वारा 2 लाख रूपये बीमाधन प्रति विद्यार्थी तक की जोखिम वहन करते हुए पॉलिसी जारी की जायेगी। एक लाख रू. से दो लाख रू. के मध्य किसी अन्य बीमाधन हेतु पॉलिसी जारी नहीं की जायेगी।
4. इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 01/2021 दिनांक 02.03.2021 द्वारा इस योजना के अन्तर्गत नवीन संशाधित दरों को प्रभावी बनाया गया था। इस दिनांक के पूर्व, जिला कार्यालय द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को पुरानी दर पर पॉलिसी जारी की गई थी जो इस दिनांक को प्रचलन में थी। यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा ऐसी किसी पॉलिसी के अन्तर्गत कुछ अन्य विद्यार्थियों को भी उस पॉलिसी की शेष अवधि तक के लिये जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में मूल पॉलिसी में प्रयुक्त प्रीमियम दर को ही आधार बनाते हुए नियमानुसार प्रीमियम प्राप्त किया जायेगा एवं अतिरिक्त विद्यार्थियों को पॉलिसी के तहत सम्मिलित किये जाने के लिये पृष्ठांकन (Endorsement) जारी किया जायेगा।
5. यदि दिनांक 02.03.2021 के पश्चात् किसी शिक्षण संस्था द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर के आधार पर नवीन पॉलिसी के लिये प्रीमियम राशि जिला कार्यालय में जमा करा दी गई हो तो उस शिक्षण संस्था से बीमाधन के सम्बन्ध में लिखित प्रस्ताव प्राप्त करने के उपरान्त शेष बची राशि को उस शिक्षण संस्था को रिफण्ड किया जायेगा।
6. योजना के अन्तर्गत अण्डरराइटिंग के लिये एक ही रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसके निर्धारित कॉलम में प्रीमियम दर एवं बीमाधन (प्रति विद्यार्थी) को स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
7. इस दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना के कारण क्षति/मृत्यु की दशा में ही भुगतान देय होता है। अतः दुर्घटना के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त करने तथा यह सुनिश्चित करने पर कि क्षति/मृत्यु का प्रत्यक्ष/आसन्न (Proximate) कारण दुर्घटना ही है, के उपरान्त ही दावे

स्वीकृत किये जावें। पुलिस दस्तावेज/पोस्टमार्टम रिपोर्ट/इलाज का विवरण/मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट इत्यादि समुचित दस्तावेजों से ऐसी पुष्टि की जा सकती है।

8. दावे अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में अस्वीकृति के कारण को स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे तथा सक्षम स्तर पर रिव्यू/रिविजन हेतु अपील किये जाने सम्बन्धी प्रावधान को आवश्यक रूप से अस्वीकृति पत्र में लिखा जावे।

9. जिला कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिसी का प्रारूप पूर्व में परिपत्र संख्या 01/2021 दिनांक 02.03.2021 के साथ उपलब्ध कराया जा चुका है। जिला कार्यालयों को टर्म्स/कंडीशन्स/एक्सक्लूजन्स एवं निर्धारित शिड्यूल के साथ इसी प्रारूप के अनुसार पॉलिसी जारी करना आवश्यक है।

(सुनील बंसल)
अतिरिक्त निदेशक(सा.बी.यो.)
वित्त भवन, जयपुर।

क्रमांकः–GIF/GIS/SSI/Aided-Non aided/2018-19/ 1394-1443 दिनांकः– 09.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(बीमा) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभाग.............................
4. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय.................

(सुनील बंसल)
अतिरिक्त निदेशक(सा.बी.यो.)
वित्त भवन, जयपुर।

E:\Ravindra kantwa\Circular\circular ssai.docx